


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
आदेश

विभागीय आदेश 126/स0 दिनांक 29.04.2020 के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की संभावना के मद्देनजर अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता-1 एवं श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता-3 को अगले आदेश तक होम क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया गया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मुख्य अभियंता-1 एवं मुख्य अभियंता-3 के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अभियंता प्रमुख को प्राधिकृत किया जाता है। अभियंता प्रमुख अपने मौलिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन करते रहेंगे और मुख्य अभियंता-1 एवं मुख्य अभियंता-3 के कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होने के बाद यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-2-01/2020 2115

पटना, दिनांक- 06-05-2020

प्रतिलिपि:- अपर सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-2-01/2020 2115

पटना, दिनांक- 06-05-2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव